

बिहार सरकार
वित्त विभाग

पत्रांक-1/स्था०(लो०सू०पद०)-35/2009...../वि०, पटना, दिनांक.....

: आदेश :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5(i) के तहत वित्त विभाग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित प्रशाखाओं का लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है:-

क्र	प्रशाखा का नाम	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	तालिका 3 में नामित पदाधिकारियों के अवकाश में रहने या अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में नामित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4
1	प्रशाखा-1 (राजपत्रित स्थापना)		
2	प्रशाखा-6 (सूचना का अधिकार एवं जन शिकायत)	श्री राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव	श्री ऋषिकेश, अवर सचिव
3	प्रशाखा-11 (निगरानी)		
4	प्रशाखा-2(अराजपत्रित स्थापना)	श्री ऋषिकेश, अवर सचिव	श्री राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव
5	प्रशाखा-3(चि०प्रति०/सेवा विनियमन)	श्री जितेन्द्र ओझा, अवर सचिव	श्री प्रमोद, अवर सचिव
6	प्रशाखा-5 (प्रेस)		
7	प्रशाखा-3ए एवं 3सी (प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)	श्री सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव	श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव
8	प्रशाखा-3बी एवं 3डी (प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)	श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव	श्री सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव
9	प्रशाखा-4 (नियमावली)	श्री अरुण कुमार सिंह, उप सचिव	श्री अनिल कुमार, उप सचिव
10	प्रशाखा-7 एवं 8 (सांस्थिक वित्त)	श्री राजेश्वर प्रसाद रजक, अवर सचिव	श्री सुधाकर झा, अवर सचिव
11	प्रशाखा-9 (लोक लेखा)		
12	प्रशाखा-10 (अग्रिम)	श्री ब्रजनन्दन पासवान, अवर सचिव	श्री अनिरुद्ध प्रसाद, अवर सचिव
13	प्रशाखा-12 (विधि)	श्री अमित कुमार मिश्रा, अवर सचिव	श्री सुधाकर झा, अवर सचिव
14	प्रशाखा-13 (आयोजन)	श्री मुकुन्द शेखर, सहायक निदेशक, कोषागार एवं लेखा	श्री मणिभूषण कुमार, लेखा पदाधिकारी
15	प्रशाखा-14,15,16,17,18 एवं 19 (योजना एवं बजट)	श्री मणिभूषण कुमार, लेखा पदाधिकारी	श्री मुकुन्द शेखर, सहायक निदेशक, कोषागार एवं लेखा
16	प्रशाखा-20 (संसूचन/विधायी/ई-गजट)	श्री सुधाकर झा, अवर सचिव	श्री अमित कुमार मिश्रा, अवर सचिव
17	प्रशाखा-26 (वेतन निर्धारण)		
18	प्रशाखा-21, 22 एवं 23 (दावा कोषांग)	श्रीमती रूपम, संयुक्त आयुक्त (वि०प्र०)	श्रीमती अनिता रानी, उपायुक्त (वि०प्र०)
19	प्रशाखा-24 एवं 25 (दावा कोषांग)	श्रीमती अनिता रानी, उपायुक्त (वि०प्र०)	श्रीमती रूपम, संयुक्त आयुक्त (वि०प्र०)
20	प्रशाखा-27 (पेंशन)		
21	प्रशाखा-38 (लोक उद्यम प्रभाग)	डॉ० ध्रुव प्रसाद, अवर सचिव	श्री राजेश्वर प्रसाद रजक, अवर सचिव
22	प्रशाखा-28 (ई-गवर्नेंस कोषांग)	श्री अजय कुमार ठाकुर, संयुक्त आयुक्त	श्री आलोक कुमार, संयुक्त आयुक्त
23	प्रशाखा-36 (कोषागार)		
24	प्रशाखा-29,30,31,32,33 एवं 34 (लेखा शाखा)	श्री प्रमोद कुमार, अवर सचिव	श्री जितेन्द्र ओझा, अवर सचिव
25	प्रशाखा-35 (वित्त आयोग प्रभाग)		
26	प्रशाखा-39 (राष्ट्रीय बचत)	श्री अनिरुद्ध प्रसाद, अवर सचिव	श्री ब्रजनन्दन पासवान, अवर सचिव

- 2 : प्रशाखा-37 (भविष्य निधि निदेशालय) के लोक सूचना पदाधिकारी को निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय अपने स्तर से नामित करेंगे।
- 3 : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5(i) के तहत वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को अपने प्रशाखा का सहायक लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।
- 4 : इस संदर्भ में निर्गत पूर्व के सभी आदेश उक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
- 5 : इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(लो०सू०पद०)-35/2009 515 /वि०, पटना, दिनांक 09/05/2025

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारी शरीफ, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, कुशडीहरा, गया/सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन/व्यय) के आप्त सचिव/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय/विशेष सचिव के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव के कोषांग/बजट पदाधिकारी/ बजट सलाहकार/वित्तीय विशेषज्ञ/सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप सचिव/उपायुक्त (वि०प्र०)/सभी अवर सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/सभी वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी/संबंधित सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ramandal

09/05/2025

सरकार के अवर सचिव।